



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फॅक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 2408 / 12-1-2 दिनांक 23 / 02 / 2022::

सेवा में,

विषय :-

सन्दर्भ :-
महोदय,

अधिशासी अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०, रुद्रप्रयाग।

जनपद-रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सन्-स्यूण्ड-सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.958 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/119756/2021

आपकी पत्र संख्या-212 दिनांक 16.02.2022।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-08बी./यू.सी.पी./06/94/2021/एफ.सी./1139 दिनांक 06.12.2021 के द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है-

- (1) शर्त संख्या-3(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिपूरक वनीकरण के लिये $0.958 \times 2 = 1.916 \times 1000 = 1916$ पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वसूली वर्ष-2021-22 के लिये निर्धारित दर 370902.00 के अनुसार रुपये 1.916 ha. @ 370902.00 = 710648.00 (सात लाख, दस हजार, छः सौ अड़तालीस) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।
- (2) शर्त संख्या-3(घ) के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र-भाग-2 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत घनत्व 0.50 है, तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०-सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार निर्देशित guideline para 1.21(ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV 0.958 ha. @ 845000.00 = 809510.00 रुपये

Penal N.P.V.	= 809510.00 X 5	= 4047550.00 रुपये
(Five Times of N.P.V.)		
12% Simple Interest	= 4047550.00 X 12%	= 485706.00 रुपये
	<u>4047550.00 + 485706.00</u>	<u>= 4533256.00 रुपये</u>

20% Public Utility Project

(para 1.21(ii)b) = 4533256.00 X 20% = 906651.00 रुपये

- (3) कुल Penal N.P.V. 906651 (नौ लाख, छः हजार, छः सौ ईक्यावन) मात्र की धनराशि जमा की जानी है। शर्त संख्या-5(क) के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र-भाग-2 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत घनत्व 0.50 है, तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०-सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 0.958 ha. @ 845000.00/ = 809510.00 (आठ लाख, नौ हजार, पांच सौ दस) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार आंकलित की गई धनराशियों का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय से संत्यापित होने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-7 के नियमानुसार उक्त आंकलित धनराशियों को जमा करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 2408 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

de